भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2032

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं"

2032. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के कारण आग लगने की अधिक दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया)-I योजना के अंतर्गत ईवी विनिर्माताओं के लिए कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : जी हाँ।

(ख) और (ग) : फेम-I स्कीम के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए ऐसी कोई कौशल निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित नहीं की जाती हैं। हालाँकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोटोटाइप/घटकों का परीक्षण किया जाता है ताकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन हो सके।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आग लगने के मूल कारण की जांच करने और उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान-बेंगलुरु तथा नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम के स्वतंत्र विशेषज्ञों की जांच टीम का गठन किया था।

सड़क,परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और उसके घटकों, बीएमएस और संबंधित प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानक तैयार करने संबंधी सुझाव देने के लिए भी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की एल, एम और एन श्रेणी में ट्रैक्शन बैटरी की तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए दिनांक 28 सितंबर, 2022 के सांविधिक आदेश 4567(अ) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों में संशोधन किए हैं : एआईएस:156 [एल श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसिकिल के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं)] और एआईएस:038 (संशो. 2) [एम श्रेणी (यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, एन श्रेणी (मालवहन के लिए प्रयुक्त कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन] । उक्त संशोधन 1 दिसंबर, 2022 से लागू हैं और इन एआईएस मानकों के कुछ खंड 31 मार्च, 2023 से प्रभावी होंगे।

सड़क,परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2022 के माध्यम से क्वाड्रिसिकिल, ई-रिक्शा, दुपहिया और चौपहिया वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए उत्पादन की अनुकूलता अपेक्षाओं (सीओपी) के संबंध में जी.एस.आर. 659 (अ) के माध्यम से अधिसूचना जारी की थी।

***